

शक्कर निर्यात हेतु "रुचि की अभिव्यक्ति

रुचि की अभिव्यक्ति क./ 85222 / दिनांक 20 / 10 / 2021

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार नई-दिल्ली से जारी अधिसूचना संख्या 1(6)/2020-एसपी-I दिनांक 18/08/2021 के माध्यम से MAEQ के तहत छत्तीसगढ़ स्थित राज्य के सहकारी शक्कर कारखाने जिसमें भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, राम्हेपुर कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)(**Short Name – Bhoramdev**) प्लांट कोड 54301 एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) (**Short Name – Pandariya**) प्लांट कोड 69043 तथा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद (छ.ग.) (**Short Name – Danteshwari**) प्लांट कोड 65101 एव माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अम्बिकापुर (छ.ग.) (**Short Name – Ambikapur**) प्लांट कोड 64501 को उत्पादन वर्ष 2020-21 के लिए क्रमशः 62,840.00 (27,000.00 एस-30 एवं 35,840.00 एम-30) क्विंटल + 57,070.00 क्विंटल एस-30 + 12900.00 क्विंटल एस-30 + 48,140.00 क्विंटल एस-30 **कुल 1,80,950.00 क्विंटल (1,45,110.00 एस-30 + 35,840.00 एम-30) शक्कर निर्यात कोटा प्राप्त हुआ है।** उक्त शक्कर का भारत सरकार के प्रावधानों के तहत निर्यात हेतु इच्छुक निर्यातकों के द्वारा E-Procurement Portal में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा	लौह पुरुष शक्कर कारखाना पण्डरिया	दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद	माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अम्बिकापुर
Plant Code	54301	69043	65101	64501
Export Quantity (MAEQ) in MT	6284.00	5707.00	1290.00	4814.00
Export for Proposed Quantity (in MT)	2700.00	3584.00	5707.00	1290.00
Sugar Grade	S-30	M-30	S-30	S-30
Bank Name	Punjab National Bank	SBI Kawardha	BOB Balod	Punjab National Bank
A/C No.	19012191000743	34777799277	31360100006799	7258002100000030
IFSC Code	PUNB0190110	SBIN0000406	BARB0BALODX	PUNB0725800
Website	www.bssuk.co.in	www.Lspssk.co.in	www.dmsskm.com	www.mahamayasar.com
E-mail ID	bssukm1@gmail.com	Lspsskm@gmail.com	dmsskmb@gmail.com	mdsugarmill@yahoo.com

चीनी कारखाने से निर्यात के लिए आबंटित चीनी मात्रा की खरीदी और निर्यात की व्यवस्था के लिए अनुभवी निर्यातकों जिसमें सरकारी/सहकारी संस्थाएँ और वैध आयात/निर्यात कोड वाली ऐसी संस्थाओं/फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति में निर्यातकों के द्वारा भाग लेने के लिए E-Procurement Portal के वेबसाइट में जा कर फार्म राशि 2311/- रु. (2000/- रु. + 311/- रु चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) एवं 50,000.00 रु. का सुरक्षानिधि जमा करना होगा। ऑनलाईन के माध्यम से फार्म की राशि जमा कर शासकीय वेबसाइट(E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload किया जाना अनिवार्य होगा। कारखाने द्वारा निर्धारित फार्म को भर कर दिनांक 10/10/2021 को रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 20/10/2021 को समय दोपहर 12:00 बजे तक (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) के साईड में ऑनलाईन के माध्यम से फार्म अपलोड किया जा सकेगा।

1-अमानत/ई.एम.डी. राशि –(भाग-एक में रखें)

निर्यातों को निविदा फार्म के साथ ही रूचि की अभिव्यक्ति में एक्सपोर्ट हेतु प्रस्तावित की गई शक्कर मात्रा हेतु सुरक्षानिधि के रूप में रु. 50,000.00 (शब्दों में पचास हजार रु. मात्र) आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से उपरोक्त उल्लेखित शक्कर कारखानों के नाम पर जमा करना अनिवार्य होगा, तथा निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर कुल शक्कर मूल्य का 5% ई.एम.डी. राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा उनके द्वारा सुरक्षा निधि जमा राशि रु. 50000.00 को जमा माना जावेगा। जो कि शक्कर उठाव के दौरान, शक्कर उठाव के अनुरूप क्रमिक रूप से समायोजन किया जावेगा। निर्यातकों द्वारा दर प्रस्तुत दर स्वीकृति पश्चात अनुबंध के पूर्व रु. 400.00 प्रति क्विंटल की दर से P.D.C. सुरक्षानिधी राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा जो कि निर्यातक द्वारा निर्यात संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज कारखाने को प्रदान करने के पश्चात सक्षम अधिकारी के पूष्टि उपरांत विमुक्त किया जावेगा। ई. एम. डी. की राशि जमा नहीं होने पर निविदा निरस्त की जाएगी।

जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण-

1. आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. नंबर-
क्रमांक-..... दिनांक-.....
2. आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी राशि रु: -
3. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता -

2- तकनीकी भाग (भाग-दो में रखें)

मैं आपके कारखानों द्वारा प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति क्रमांक 85222 दिनांक 20/10/2021 व्यावसायिक भाग में (भाग-तीन) दर्शाए अनुसार प्रस्तावित शक्कर निर्यात की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर निर्यात हेतु क्रय करने के लिए दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा शक्कर क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही कारखाने द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण -

क्र.	विवरण	निर्यातकर्ता के द्वारा जानकारी भरा जावे।
1.	फर्म का नाम एवं पूर्ण पता	
2	मालिक/संचालक का नाम	
3	प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता	
4	मोबाईल नम्बर	

5	जी.एस.टी.	
6	पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित	
7	खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित वैधता तिथि सहित	
8	निविदाकार का स्वयं के नाम का शक्कर निर्यात का आई.ई.सी.लाईसेंस प्रमाण पत्र एवं फर्म/कंपनी का पंजीयन	
9	फर्म द्वारा कितने फैक्ट्रियों से शक्कर एक्सपोर्ट का कार्य किया गया है	
10	Original Copy of certificate regarding turnover for the year 2018-19, 2019-20 and 2020-21 against export of sugar issued by Chartered accountant	Chartered Accountant Certificate
11	Copies of the balance sheet for the last three financial.	
12	Copies of Income Tax return submitted in Income Tax Department for the last three financial years.	
13	Authorisation letter by the authorised person.	
14	Names of Director/Parties/ Proprietor etc. as applicable with Documentary Proof.	
15	The net worth of the exporter as on 31.03.2021 shall be positive as per the audited balance sheet. Net Worth means "share capital+Reserve+undistributed profit-accumulated losses". Depreciation reserve and revaluation reserve shall not be considered for purpose of calculation of the net worth.	Chartered Accountant Certificate
	निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों में न्यूनतम प्रति वर्ष 50,000 MT लगातार शक्कर निर्यात किया गया हो। इस संबंध में Custom Authoried से जारी Certified Copy उपलब्ध कराना होगा।	Certificate issued by Custom Authority.
	विगत वर्षों में आपके द्वारा निर्यात शक्कर के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान राशि संबंधित शक्कर कारखाने द्वारा प्राप्त किया जा चुका हो।	An Affidavit in non-judicial stamp paper of Rs 100 mention mill Wise Subsidy Received by sugaqr factory.

दो –व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण –

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता –
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
3. फेक्स' नम्बर
4. व्यवसाय एवं पता –

मैं शक्कर कारखाना
.....(छ.ग.) द्वारा जारी रूचि की
अभिव्यक्ति क्रमांक .85222 दिनांक 20/10/2021के लिए श्री/मेसर्स.....
.....पता.....

..... की ओर से रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है । अधिकार पत्र इस रूचि की अभिव्यक्ति के तकनीकी भाग में भाग-दो में सलग्न कर रहा हूँ । मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है । मैंने शक्कर निर्यात से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है । इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य रूचि की अभिव्यक्ति से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा । किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा ।

निर्यातक/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

तीन- निविदा की शर्तें -

शक्कर निर्यात करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

1. निर्यातक द्वारा शक्कर निर्यात करने हेतु खाद्य विभाग एवं केंद्र सरकार से जारी वैध लाईसेंस जिसमें शक्कर निर्यात का उल्लेख हो। जिसकी अवधि आगामी 01 वर्ष तक वैध हो। छायाप्रति निर्यातको द्वारा हस्ताक्षरित एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति जिसमें निर्यातकों का हस्ताक्षर एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निर्यातकों का स्वयं के नाम का शक्कर निर्यात का लाईसेंस प्रमाण पत्र/पंजीयन होना अनिवार्य हैं, जिसकी वैधता आगामी 01 वर्ष तक का होना अतिआवश्यक हैं।
4. शक्कर की यह मात्रा डोमेस्टिक विक्रय के लिए नहीं हैं केवल निर्यात के लिए मान्य होगी।
5. शक्कर क्रय करने के लिए भाव पत्र ग्रेड एस-30 की 1,45,110.00 क्विंटल एवं एम-30 की 35840.00 क्विंटल शक्कर कुल 1,80,950.00 क्विंटल मात्रा की होगी जो शर्करा निदेशालय नई-दिल्ली से प्राप्त आबंटन पर आधारित होगा।
6. पेरार्ड सत्र 2020-21 में उत्पादित शक्कर का ही निर्यात किया जावेगा। जिसकी वजन 50 किलोग्राम हैं जो कि पी.पी. बैग में पैकिंग किया गया हैं।
7. रूचि की अभिव्यक्ति में उचित दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा कमेटी द्वारा निर्यातकों के साथ निगोसिएशन किया जा सकता हैं, जो कि अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. रूचि की अभिव्यक्ति भरते समय निर्यातक अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत रूचि की अभिव्यक्ति में उल्लेख नहीं करेगा, यदि निर्यातक के द्वारा ऐसा किया जाता है तो किसी भी प्रकार के शर्तें/टीप को मानने के लिए कारखाना बाध्य नहीं होगा।
9. शक्कर निर्यात हेतु रूचि की अभिव्यक्ति फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करे एक से अधिक दरो पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. रूचि की अभिव्यक्ति में मात्रा तथा दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट-छॉट होने पर रूचि की अभिव्यक्ति निरस्त की जा सकती है।
11. रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 10/10/2021 को रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 20/10/2021 को समय दोपहर 12:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् रूचि की अभिव्यक्ति दोपहर 12:30 बजे पश्चात् विक्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निर्यातक/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

12. निर्यातक द्वारा सुरक्षानिधि की राशि जमा के उपरांत ही रूचि की अभिव्यक्ति मान्य किया जावेगा।
13. ऐसे निर्यातक जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है, उन फर्मों का प्राईज बीड 03 (तीन) नहीं खोला जायेगा एवं उनके दर अमान्य कर दी जायेगी।
14. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर कुल शक्कर मूल्य का 5% ई.एम.डी. राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा तथा उनके द्वारा सुरक्षा निधि जमा राशि रु. 50000.00 को जमा माना जावेगा। जो कि शक्कर उठाव के दौरान, शक्कर उठाव के अनुरूप क्रमिक रूप से समायोजन किया जावेगा। निर्यातकों द्वारा दर प्रस्तुत दर स्वीकृति पश्चात अनुबंध के पूर्व रु. 400.00 प्रति क्विंटल की दर से P.D.C. सुरक्षानिधी राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा जो कि निर्यातक द्वारा निर्यात संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज कारखाने को प्रदान करने के पश्चात सक्षम अधिकारी के पूष्टि उपरांत विमुक्त किया जावेगा।
15. निर्यात हेतु सभी औपचारिकता एवं अनुमति लेने की समस्त जिम्मेदारी शक्कर निर्यातक की होगी।
16. निर्यात हेतु शक्कर क्रय की राशि जमा एवं शक्कर का उठाव के संबंध में तिथि का निर्धारण निर्यातक एवं कारखाने के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुरूप की जावेगी। निर्यात हेतु उठाव की जाने वाली शक्कर की राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से शक्कर उठाव पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
17. शक्कर राशि का भुगतान अग्रिम किया जाना अनिवार्य हैं अन्यथा कि स्थिति में लोडिंग/डिलवरी प्रदान नहीं दिया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निर्यातक की होगी।
18. शक्कर निर्यात की राशि एवं अनुबंधित शक्कर मात्रा का उठाव निर्धारित समय में किया जाना अनिवार्य होगा।
19. रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र में निर्यातक द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पुरा नाम पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, मुस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य हैं। निर्यातक की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापित अधिकार पत्र के अभाव में रूचि की अभिव्यक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा, अगर निर्यातक/कंपनी/समिति, द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है, तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य हैं। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम,पता,फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके हर पृष्ठ पर निर्यातक के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं।
20. निर्यातक को शासन के नियमानुसार प्रचलित सभी जी.एस.टी./टी.सी.एस./कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना अनिवार्य होगा। शक्कर निर्यात पर टैक्स में किसी प्रकार की छूट भारत सरकार शर्करा निदेशालय के प्रावधानों के तहत देय

होगा जिसके लिए वाछिंत दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शक्कर की डिलवरी शक्कर कारखाना/गोदाम से 'जो है जैसा है' की स्थिति में दी जायेगी।

21. शक्कर की डिलीवरी, लोडिंग/बिलिंग वाहनो मे लदी Number Of bag (बैग की मात्रा) को धरम कांटे में प्राप्त कुल वजन \pm 50 किलो ग्राम के आधार पर किया जायेगा तथा डिलीवरी हेतु वाहनो का प्रवेश सुबह 10:30 से 3:30 बजे एवं निर्गमन शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा।
22. शक्कर डिलवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाड़ी लोड करावें। विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
23. छ.ग. शासन के परिवहन के नियमानुसार शक्कर की डिलवरी वाहन की पासिंग क्षमता के अनुरूप डिलवरी प्रदान की जावेगी।
24. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, कर/टैक्स/शेष का भुगतान शासन के नियमानुसार देय होगा, यदि शासन द्वारा भविष्य में टैक्स में वृद्धि की जाती है तो दर एवं टैक्स की भावांतर राशि क्रेता/निर्यातक द्वारा देय होगा।
25. शक्कर की डिलवरी हेतु प्रत्येक गाड़ी की बिल्टी गाड़ी के साथ लाना अनिवार्य होगा। बिल्टी प्रस्तुत करने के पश्चात् ही गाड़ी लोडिंग करने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी।
26. विक्रय की गई संपूर्ण शक्कर की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि राजसात एवं आदेश निरस्त/समयावधी वृद्धि के संबंध में प्रबंधन/विक्रय कमेटी का निर्णय सर्वमान्य होगा।
27. क्रय की गई संपूर्ण शक्कर की उठाव नियमित रूप से प्रति दिन करनी होगी, उठाव समय में नहीं होने पर किसी प्रकार की आर्थिक व्यय एवं क्षति की जिम्मेदारी क्रेता/निर्यातक की होगी जिसकी वसूली अथवा भरपाई के लिए प्रबंधन द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
28. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगी।
29. निर्यात हेतु प्रस्तावित शक्कर मात्रा में कमी अथवा वृद्धि भारत सरकार शर्करा निदेशालय नई दिल्ली के निर्यात प्रावधानों के तहत लागू होगा।
30. शक्कर लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन का कार्य क्रेता/निर्यातक के द्वारा किया जावेगा।
31. निर्यातक यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में असफल होता है जिससे कारखाने को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी भरपाई निर्यातक द्वारा जमा ई.एम.डी./अमानत राशि से कर ली जावेगी।
32. निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों में न्यूनतम प्रति वर्ष **25,000 MT** लगातार शक्कर निर्यात किया गया हो। इस संबंध में Custom Authoried से जारी Certified Copy उपलब्ध कराना होगा। जिसका भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान राशि संबंधित शक्कर कारखाने द्वारा प्राप्त किया जा चुका हो।

33. 100 रूपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर में शपथ पत्र यह दर्शाता है कि निर्यात अग्रिम लाईसेंस के तहत नहीं हैं।

34. कारखाने से शक्कर उठाव के पश्चात् निर्यातकर्ता को निर्यात संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज कारखाने को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार है:—

- (i) Self Certified copies of GSTR-1.
- (ii) Self certified copies of all the shipping Bills indicating Let Export Order (LEO) date, name of the MAEQ holder sugar mill and the mill from which sugar has been sourced.
- (iii) Bill of lading indicating port of discharge and port of destination along with exporter and importer names.
- (iv) A bi-partite/tri-partite agreement between/amongst quota holder sugar mill, merchant/manufacturer exporter and the source sugar mill, i.e. from which, sugar have been sourced for export, as the case may be.
- (v) An undertaking in non-judicial stamp paper of Rs 100 from the exporter indicating the shipping bill- wise quantity utilized for export against the MAEQ of applicant sugar mill.
- (vi) Affidavit in non-judicial stamp paper of Rs. 50 indicating that the exports are not under advance license.**
- (vii) Any other document specifically sought by DFPD in this regard.
- (viii) Statement of Bank Realisation Certificate (BRC)

35. किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार कारखाने स्थित जिले के सहकारी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा।

36. इस फार्म की 1 से 35 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति फार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

निर्यातक का हस्ताक्षरमय सील

नाम _____

पद नाम _____

मोबाईल नंबर _____

पता _____

चार— प्रबंध संचालक का अधिकार —

प्रबंध संचालक / निविदा कमेटी को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में रूचि की अभिव्यक्ति निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय रूचि की अभिव्यक्ति निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निर्यातको को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. निर्यातकों/फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष शक्कर की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार होगा।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार कारखाना प्रबंधन को होगा।

—घोषणा—पत्र—

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर रूचि की अभिव्यक्ति /विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा शक्कर एक्सपोर्ट हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा शक्कर निर्यात हेतु रूचि की अभिव्यक्ति दर व्यावसायिक भाग तीन पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक

निर्यातक का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

फर्म का मुहर

5 – व्यावसायिक भाग (भाग–तीन में रखें)

शक्कर निर्यात हेतु जारी रूचि की अभिव्यक्ति क्रमांक **85222** में उल्लेखित विवरण के आधार पर शक्कर निर्यात हेतु मेरे द्वारा तकनीकी भाग (भाग–दो) में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर E-Procurement Portal में जाकर प्रस्तुत कर दी गई है और अब इस पत्रक के माध्यम से नीचे उल्लेखित अनुसार मात्रा उनके सामने अंकित दर पर शक्कर निर्यात करने के लिये रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवरण	भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा		लौह पुरुष शक्कर कारखाना पण्डरिया	दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना बालोद	मौ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अम्बिकापुर
Plant Code	54301		69043	65101	64501
Export Quantity (MAEQ) in MT	6284.00		5707.00	1290.00	4814.00
Export for Proposed Quantity (in MT)	2700.00	3584.00	5707.00	1290.00	4814.00
Sugar Grade	S-30	M-30	S-30	S-30	S-30
Praposed Price per Quantal (with out GST)					

- निर्यातक/फर्म का नाम एवं पूर्ण पता –
- मालिक/संचालक का नाम
- दूरभाष/मोबाईल नम्बर
- फेक्स नम्बर
- जी.एस.टी.नं. की छायाप्रति
- पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
- खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
वैधता तिथि
- निर्यातक का स्वयं के नाम का शक्कर निर्यात का लाईसेंस प्रमाण पत्र/पंजीयन होना अनिवार्य हैं। जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित तथा वैधता तिथि सहित
.....वैधता तिथि

निर्यातक/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
एवं मुहर